Madhya Pradesh Civil Judge (Mains) 2022

Second Question Paper · Article & Summary Writing (Articles, Précis and Translation) · compulsory paper

Total No. of Questions: 5 · Time Allowed: 03:00 Hours · Maximum Marks: 100

All questions are compulsory. Please, adhere to the word limit of answers as specified in question paper.

Write your Roll No. only in the space provided on the first page of Answer-Book / Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

In case there is any variance either printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.

Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or illegible in view of Valuer then the valuation of such Answer Book may not be done.

1. Write an article in Hindi or English, on any one of the following social topics:
निम्नलिखित सामाजिक विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए :
(i) Tourism in the state of Madhya Pradesh : Potential and development.
मध्य प्रदेश राज्य में पर्यटन : क्षमता और विकास।
(ii) Sustainable development in the state of Madhya Pradesh : With reference to Smart City project.
मध्य प्रदेश राज्य में सतत विकास : स्मार्ट सिटी परियोजना के संदर्भ में। [20]

2. Write an article in Hindi or English, on any one of the following legal topics:
निम्नलिखित विधिक विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए :
(i) Challenges in implementation of Common Civil Code.
समान नागरिक संहिता के प्रवर्तन में चुनौतियाँ।
(ii) Benefits of implementation of the Citizenship (Amendment) Act, 2019 in India.
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को भारत में लागू किये जाने के लाभ। [20]

3. Summarize the one of the following English /Hindi passage :–
निम्नलिखित अंग्रेजी/हिन्दी अंश में से किसी एक का संक्षिप्तिकरण कीजिए :– [20]

The Respondent No.2/complainant lodged First Information Report bearing Crime No.-170/2014 dated 20th June, 2014 at Police Station Gonda, District Aligarh, Uttar Pradesh. It was with the allegation that ₹ 55,20,000/- (Rupees fifty five lakhs twenty thousand only) were embezzled from his account. A perusal of the contents of the First Information Report shows that no one was named as an accused therein. He merely stated therein that there were certain unauthorized withdrawals from his bank account. He had never requested for issuance of a new cheque book, however, still a new cheque book was issued. It was sent by registered post to the complainant but was not delivered to him. Some unauthorized person collected the same. Though earlier the complainant was receiving SMS from the bank for all the transactions but suddenly it got stopped. He came to know about the cheating when on 19th June, 2014 he got entries done in his pass book.

After investigation, charge sheet was filed against Omprakash s/o Ramlal, Assistant Clerk, State Bank of India, Branch Gonda, District Aligarh and Kishore s/o Chandrashekhar Sharma, State Bank of India Branch Gonda, District Aligarh. During the course of trial, the complainant got his statement recorded. He reiterated the stand taken by him in complaint filed to the police on the basis of which First Information Report was registered. He stated that the cheating has been done in connivance with the employees of the bank and the Post Office. He admitted in his cross-examination that the amount of ₹ 55,20,000/- (Rupees fifty five lakhs twenty thousand only) which was withdrawn from his bank account has been returned to him by the bank.

On the basis of the statement made by the complainant which was in line with the complaint filed to the police, an application was filed under Section 319 of the Code of Criminal Procedure, 1973 by the prosecution for summoning the present appellant, Satyaprakash Accountant, Harendra Verma Branch Manager, State Bank of India and the then Post Master of Post Office, Gonda. The same was rejected by the Additional Chief Judicial Magistrate vide order dated 6th May, 2017 finding that sufficient material was not available to summon the accused. The order was challenged by the prosecution by filing revision. The learned Sessions Judge vide order dated 4th July, 2017 allowed the Revision Petition and remitted the matter to the Trial Court for disposal afresh after affording opportunity of hearing to the parties. Thereafter, vide order dated 29th August, 2017 the learned Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh allowed the application and directed for summoning of the present appellant, Satyaprakash Accountant, Harendra Verma Branch Manager, State Bank of India and the then Post Master of Post Office, Gonda.

अथवा / OR

प्रत्यर्थी क्रमांक 2/परिवादी ने पुलिस थाना गोण्डा, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में अपराध क्रमांक 170/2014 पर दिनांक 20 जून, 2014 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाई। यह इस अभिकथन के साथ थी कि उसके खाते से 55,20,000/– रूपये (पचपन लाख बीस हजार रूपये केवल) का गबन किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु के अवलोकन से दर्शित है कि उसमें किसी को भी आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। उसके द्वारा केवल यह अभिकथन किया गया था कि उसके बैंक खाते से कुछ अप्राधिकृत आहरण किये गये थे। उसके द्वारा कभी भी नई चैक बुक जारी करने के लिए निवेदन नहीं किया गया था, फिर भी एक नई चैक बुक जारी की गई थी। उक्त चैक बुक रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा परिवादी को प्रेषित की गई थी किन्तु उसे प्राप्त नहीं हुई थी। किसी अप्राधिकृत व्यक्ति ने इसे प्राप्त किया था। यद्यपि पहले परिवादी को सभी संव्यवहारों के लिए बैंक से एस.एम.एस. प्राप्त होता था, किन्तु अचानक यह बंद हो गया। उसे 19 जून, 2014 को अपनी पासबुक में प्रविष्टियां कराये जाने पर उक्त धोखाधड़ी का पता लगा।

अन्वेषण के उपरांत ओमप्रकाश पुत्र रामलाल, सहायक लिपिक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा गोण्डा, जिला अलीगढ़ एवं किशोर पुत्र चन्द्रशेखर शर्मा, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा गोण्डा, जिला अलीगढ़ के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान, परिवादी द्वारा अपना कथन लेखबद्ध कराया गया। उसके द्वारा पुलिस को की गई शिकायत, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी, में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया। उसके द्वारा बताया गया कि धोखाधड़ी बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की मिलीभगत से की गई है। उसके द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि 55,20,000/– रूपये (पचपन लाख बीस हजार रूपये केवल) की राशि, जो उसके बैंक खाते से आहरित की गई थी, उसे बैंक द्वारा लौटा दी गई है।

परिवादी द्वारा किये गये कथन के आधार पर जो कि पुलिस को की गई शिकायत के अनुरूप थे, अभियोजन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के अंतर्गत वर्तमान अपीलार्थी, सत्यप्रकाश लेखापाल, हरेन्द्र वर्मा शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक एवं तत्कालीन पोस्ट मास्टर, डाकघर, गोण्डा को समन किये जाने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 06 मई, 2017 द्वारा यह निष्कर्ष देते हुए निरस्त कर दिया गया कि अभियुक्तगण को समन किये जाने योग्य पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं थी। आदेश को अभियोजन द्वारा पुनरीक्षण प्रस्तुत कर आक्षेपित किया गया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 04 जुलाई, 2017 द्वारा पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की और मामला विचारण न्यायालय को पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत पुनः निराकृत करने हेतु प्रतिप्रेषित किया। तत्पश्चात् विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ ने आदेश दिनांक 29 अगस्त,

2017 द्वारा आवेदन स्वीकार किया गया और वर्तमान अपीलार्थी, सत्यप्रकाश लेखापाल, हरेन्द्र वर्मा शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक एवं तत्कालीन पोस्ट मास्टर, डाकघर, गोण्डा को समन किये जाने का निर्देश दिया।

4. Translate the following 20 Sentences into English :–
निम्नलिखित 20 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :– [20]

(1) आपातकालीन स्थिति में जनता की सुरक्षा और भलाई का संतुलन बिगड़ जाता है।

(2) लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपत्काल के प्रभाव को कम करने के लिए आपातकालीन सहायकों द्वारा तत्काल उपाय किये जाने चाहिये।

(3) न्यायिक निर्णयों को न्यायपालिका की नीति और उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिये।

(4) व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 में इसके अधिनियमन के उपरांत परिवर्तनशील वैधानिक आवश्यकताओं और सामाजिक विकास के अनुकूल कई संशोधन किये गये हैं।

(5) सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति अपने जीवन, स्वतंत्रता अथवा संपत्ति से वंचित किये जाने के पूर्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए विधिक प्रक्रिया में ऋजु और निष्पक्ष व्यवहार का अधिकारी है।

(6) संवैधानिक विधि सरकार को पृथक पृथक शाखाओं : विधायिका, कार्यपालिका और न्याय पालिका में विभाजित करते हुए शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को समाविष्ट करती है, जिसमें प्रत्येक शाखा के विनिर्दिष्ट कार्य और उत्तरदायित्व होते हैं।

(7) विधिक नीतिशास्त्र में नैतिक सिद्धांत और व्यावसायिक मानक सम्मिलित हैं, जो अधिवक्ताओं और विधि व्यवसाय के सदस्यों के आचरण का मार्गदर्शन करते हुए पक्षकारों के प्रति सत्यनिष्ठा, गोपनीयता और ईमानदारी सुनिश्चित करते हैं।

(8) यदि समझौता एक या अधिक पक्षकारों (अर्थात् पीड़ित पक्ष) के विकल्प पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तो यह एक शून्यकरणीय अनुबंध है और यह विकल्प पर लागू करने योग्य नहीं है।

(9) "न्यायालय" शब्द उस न्यायाधीश का, जिसे अकेले को ही न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश-निकाय का, जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश-निकाय न्यायिकतः कार्य कर रहा हो, द्योतक है।

(10) केन्द्र राज्यों को राज्यों की संचार व्यवस्था किस प्रकार लागू की जाये, के बारे में निर्देश दे सकता है, ये निर्देश किसी भी समय दिये जा सकते हैं, राज्य इनका पालन करने हेतु बाध्य है। यदि राज्य इन निर्देशों का पालन न करे तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने का अनुमान लगाया जा सकता है।

(11) पन्थनिरपेक्षता सभी पन्थों की समानता और पान्थिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। भारत का कोई आधिकारिक पन्थ नहीं है। यह ना तो किसी पन्थ को बढ़ावा देता है, ना ही किसी से भेदभाव करता है।

(12) पर्यावरण शिक्षा उस विशिष्ट शिक्षा को कहते हैं जो जन समुदाय को पर्यावरण जानकारियों से परिचित कराकर पर्यावरण बोध को पुष्ट करती है, पर्यावरण कठिनाइयों के कारण निवारण का मार्ग ढूँढ़ती है तथा भविष्य की कठिनाइयों से आगाह कर जीवन को निष्पन्न बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है।

(13) आपराधिक न्याय प्रणाली विधियों, प्रक्रियाओं और संस्थानों का समूह है, जिसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों के अधिकारों तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए अपराधों को रोकना, उनका पता लगाना, दोषियों पर मुकदमा चलाना एवं दण्डित करना है।

(14) भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 "इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य" को किसी भी ऐसे उपकरण या प्रणाली, जो किसी भी माध्यम से जानकारी संग्रहित या पुनर्प्राप्त करने में सक्षम है, द्वारा उत्पन्न या प्रसारित जानकारी के रूप में परिभाषित करता है।

(15) पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती दर के कारण मनुष्य विभिन्न रोगों का शिकार हो सकता है, इसके कारण कई जीवों का जीवन गंभीर संकट में है और बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई प्रदूषण की चपेट में है।

(16) आज मनुष्य अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लगातार वनों की कटाई कर रहा है और अपने लिए आवास बना रहा है लेकिन इससे जानवरों का आवास छिन रहा है, जिससे जानवर आज मनुष्य के रहने की जगहों पर घूम रहे हैं।

(17) बेहतर शिक्षा सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए बहुत आवश्यक है, यह हमें आत्मविश्वास विकसित करने के साथ-साथ हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायता करती है।

(18) सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निजता का अधिकार एक नैतिक एवं अविच्छेद्य अधिकार है और इसके अंतर्गत व्यक्ति से जुड़ी सभी सूचनाओं के साथ उसके द्वारा लिये गये निर्णय शामिल हैं।

(19) हमारी दुनिया को प्रभावित करने वाले गंभीरतम पर्यावरणीय मुद्दों में से एक भूमण्डलीय ऊष्मीकरण है, जिसे आमतौर पर जलवायु परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

(20) युवा भागीदारी को युवा अधिकारों में से एक के रूप में समझा जा सकता है, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी को युवाओं और वयस्कों के बीच साझेदारी के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि वे उद्देश्यों, लक्ष्यों, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, निर्णयों आदि पर परामर्श करते हैं।

5. Translate the following 20 Sentences into Hindi :–
निम्नलिखित 20 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :– [20]

(1) Inquest, in criminal law, is an inquiry that is conducted with the purpose of investigating the cause of death.

(2) The contention of the appellant that the medical evidence does not substantiate the stand taken by the prosecution has no merit.

(3) Parliament may, by law, admit into the Union, or establish, new States on such terms and conditions as it thinks fit.

(4) Every language is always in the state of flux and even the meaning of words can change over time.

(5) The recent experience with the G20 has encouraged the Government to promote India as a tourist destination.

(6) The question of strict liability can be looked at from another angle, which has now come to be accepted universally as a sound principle.

(7) Fair and free elections are essential requisites to maintain the dignity of election and to sustain the faith of the people in election itself in a democratic setup.

(8) Gender neutral laws are not really gender neutral as they incorporate male standards and experience in the framing of those laws.

(9) The rule that general words are to be construed generally is not applicable when they follow specific words.

(10) The effect of novation, recession, and alteration of contract is that the original contract need not be performed.

(11) Facts which are the occasion, cause or effect, immediate or otherwise, of relevant facts, or facts in issue, or which constitute the state of things under which they happened, or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction, are relevant.

(12) The words “Court of Justice” denote a Judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of Judges which is empowered by law to act judicially as a body, when such Judge or body of Judges is acting judicially.

(13) Every person has a right to defend the property, whether movable or immovable, of himself or of any other person, against any act which is an offence falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass.

(14) Any application seeking a review, clarification or modification of a judgment, decree or order/award, passed by a bench of Lok Adalat, shall be placed before the same bench at any subsequent Lok Adalat for consideration.

(15) The intention of TRIPS Agreement is not to provide any monopolistic right in such a manner which will unreasonably prejudice the issue of public health of any member state; the liberty has given to members to take appropriate measure to address respective nation's public health problems.

(16) Biodiversity has significant economic value that is both implicit and explicit; most of these values are often not captured by the market; hence, the potential of biodiversity is often underestimated.

(17) The National Biodiversity Authority deals with the requests for access to bioresearches and associated traditional knowledge by foreign nationals or companies and approval for seeking any form of Intellectual Property Rights in or outside India for an invention based on research pertaining to a biological resource and associated traditional knowledge obtained from India.

(18) In fact all revolutions that salvaged India from starvation and hunger and led us to the safety of self-sufficiency and food security would have been impossible without exotic biological material.

(19) "Property" means any property or assets of every description, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, wherever located and includes deeds and instruments evidencing title to, or interest in, such property or assets.

(20) Where there is an express or implied contract that the agency should be continued for any period of time, the principal must make compensation to the agent, or the agent to the principal, as the case may be, for any previous revocation or renunciation of the agency without sufficient cause.